

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ.7(4) प्रवेशनीति/अकाद/आकाशि/2021-22/पार्ट/५५६ दिनांक: २ दिसम्बर, 2021

प्राचार्य,
विधि महाविद्यालय, बीकानेर, कोटा, बूंदी,
चूरू, श्रीगंगानगर, अजमेर, भीलवाडा।

विषय :- एल.एल.बी प्रथम वर्ष में ऑफ लाईन प्रवेश बाबत।
सन्दर्भ :- सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के पत्रांक 1546, 1547, 1548, 1549 दिनांक 18.11.2021, 1550 दिनांक 13.11.2021 एवं 1561 तथा 1562 दिनांक 20.11.2021.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि बी.सी.आई. ने राज्य में संचालित राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा, भीलवाडा, अजमेर बूंदी, चूरू, बीकानेर, एवं श्रीगंगानगर को मान्यता प्रदान करते हुए सत्र 2021-22 में एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की है। सम्बन्धित प्राचार्य बी.सी.आई. नियमानुसार ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर आयुक्तालय को अवगत करावें।

भवदीय,

३३

(त्रिभुवनपति)

अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, बी.सी.आई.21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan नई दिल्ली-110002।
5. संयुक्त निदेशक (आयोजना), कॉलेज शिक्षा जयपुर के यू.ओ.नोट क्रमांक 1974 दिनांक 23.11.2021 एवं 956 दिनांक 24.11.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को सम्बन्धित को अपलोड करने बाबत।
7. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)